मध्यप्रदेश शासन
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय

MD, MPPTCL
Lr.No. R-15
Date. 04/01/2024

क्रमांक 25 आर–1776555/2024/तेरह/01 भोपाल, दिनांक 11 JAN 2024

प्रति,

1 प्रबंध संचालक,
एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड,
ई–4 अरेरा कॉलोनी, भोपाल।

2 प्रबंध संचालक,
म.प्र. पूर्व/मध्य/पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर/भोपाल/इन्दौर।

3 प्रबंध संचालक,
म.प्र. पावर ट्रांसमिशन/जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड,
जबलपुर।

विषयः–मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 के कियान्वयन के संबंध में।

:–:

कृपया श्रम विभाग की विषयांतर्गत टीप दिनांक 26.12.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केन्द्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधा दिये जाने हेतु श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं की पात्रता का लेख किया गया है । टीप के साथ श्रम विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 7.08.2023 की प्रति प्रेषित कर टीप में उल्लेखित आउटकम/आउटपुट के कियान्वयन/परिपालन हेतु विभाग अंतर्गत सभी विद्युत कंपनियों को समुचित निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया गया है। टीप एवं श्रम विभाग के परिपत्र की प्रति संलग्न है।

2/ निर्देशानुसार, संकल्प पत्र के उक्त बिन्दु के कियान्वयन/परिपालन हेतु संबंधितों को समुचित निर्देश जारी करते हुए विभाग को शीघ्र अवगत कराये जाने का कृपया अनुरोध है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(व्ही.के गौड़)
विशष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

CE(HR&A)

विषय : मध्यप्रदेश संकल्प पत्र, 2023 के क्रियान्वयन के संबंध में।

कृपया मध्यप्रदेश संकल्प पत्र, 2023 के अंतर्गत सुशासन एवं कानून व्यवस्था हेड के अंतर्गत श्रम विभाग को चिन्हित निम्न आउटकम/आउटपुट का अवलोकन करें:-

Sr.No.	Sankalp Head	Outcome	Output
1	सुशासन एवं कानून व्यवस्था	सरकारी कर्मचारी केंद्रित नीति	ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केन्द्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधा की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रेणियों हेतु न्यूनतम वेतन के दरें निर्धारित है, जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी सम्मिलित है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर प्रत्येक छ: माह में न्यूनतम वेतन के अंतर्गत परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों को अन्य श्रम कानूनों जैसे- ठेका श्रम अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम,बोनस भुगतान अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियमों के अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं की पात्रता है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा परिपत्र क्र.1184/2023/ए-16 दिनांक 07.08.2023 जारी किया जा चुका है। जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु **संलग्न** की जा रही है।

अत: कृपया मध्यप्रदेश संकल्प पत्र के उक्त आउटकम/आउटपुट के क्रियान्वयन हेतु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत समस्त कंपनियों को उक्ताशय के परिपालन हेतु समुचित निर्देश पारित कर अवगत कराने का कष्ट करें।

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव, श्रम विभाग

प्रमुख सचिव,
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग

SE(MP)

विषय :

छत्तीस-२ सचिवालय

का विभाग

मध्य प्रदेश शासन

श्रम विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

क्रमांक सी /1/64/2023/ए-16 भोपाल, दिनांक 7 /..8.../2023

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, मंत्रालय, भोपाल
2. समस्त विभागाध्यक्ष, म.प्र.शासन
3. समस्त संभागायुक्त, म.प्र.
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र.
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, म.प्र.

विषयः- **शासकीय विभागों में कार्यरत ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रावधानों का लाभ सुनिश्चित कराये जाने विषयक।**

विदित है कि वर्तमान में शासकीय विभागों, उपक्रमों तथा निगम और मंडलों में विभिन्न कार्यों हेतु जैसे- सफाईकर्मी (हाउस कीपिंग), कम्प्यूटर आपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चौकीदार, ड्रायवर, निर्माण, सुरक्षाकर्मी आदि के रूप में ठेका एवं आउटसोर्स पर श्रमिकों/कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है। लेकिन प्रायः यह देखने में आया है कि ऐसे ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण यह है कि जिन ठेकेदारों और एजेंसियों के माध्यम से इन श्रमिकों/कर्मचारियों को नियोजित किया जाता है,उस विभाग द्वारा उन ठेकेदारों का पंजीयन/ लाइसेंस ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970 के अंतर्गत प्राप्त करने हेतु प्रावधान का परिपालन नहीं कराया जाता है| इस अधिनियम में पंजीयन/ लाइसेंस प्राप्त करने पर संबंधित ठेकेदार की जानकारी श्रम विभाग को होने से विभिन्न श्रम कानूनों के प्रावधानों का परिपालन कराया जाना सम्भव हो जाता है|

उक्त संबंध में विभिन्न श्रम अधिनियमों में निम्नानुसार प्रावधानों का परिपालन संबंधित नियोजक/ठेकेदार द्वारा किया जाना आवश्यक है:-

1. **ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम**, 1970 - अधिनियम के अनुसार 20 या 20 से अधिक ठेका श्रमिकों के नियोजन पर संबंधित विभाग/ उपक्रम/ निगम / मण्डल को अधिनियम में प्रमुख नियोजक के रूप में पंजीयन एवं ठेकेदार को लाइसेंस श्रम विभाग से लेना अनिवार्य है।

...निरंतर.

पंजीयन/लाइसेंस संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया तथा प्रपत्र आदि की जानकारी श्रम विभागीय पोर्टल www.shramsewa.mp.gov.in पर दर्शित है।

2. ठेका एवं आउटसोर्स पर कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों को ठेका श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1970, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 एवं बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 आदि में वर्णित प्रावधानों का लाभ मिलना कानूनी रूप से अनिवार्य है। इन श्रमिकों/कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, नियत समय पर वेतन का भुगतान, यदि ओवरटाइम कार्य किया गया है तो ओवरटाइम का भुगतान, बोनस राशि का भुगतान, पी.एफ. राशि तथा ई.एस.आई.सी.के अंशदान का भुगतान करते हुए इन योजनाओं का लाभ तथा ग्रेच्युटी, साप्ताहिक अवकाश आदि अन्य वैधानिक सुविधायें प्राप्त होना आवश्यक है।

3. वर्तमान में **न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948** के अंतर्गत 01 अप्रैल 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक मजदूरी की दरें निम्नानुसार है:

श्रेणी	दैनिक वेतन (रू.)	मासिक वेतन (रू.)
अकुशल	371	9650
अर्द्धकुशल	404	10507
कुशल	457	11885
उच्च कुशल	507	13185

अतः समस्त विभागों एवं शासकीय उपक्रमों, निगमों व मंडलों में आउटसोर्स एवं ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को विभिन्न श्रम कानूनों का लाभ दिलाये जाने हेतु यह अपेक्षित है कि प्रमुख नियोजक के रूप में संबंधित विभाग, उपक्रमों,निगमों व मंडलों या उनके स्थानीय सक्षम अधिकारी द्वारा तत्काल पंजीयन (Registration) प्राप्त करने की कार्यवाही की जाए तथा ठेकेदार/आउटसोर्स एजेंसी को अनुज्ञप्ति (Licence) प्राप्त करने के निर्देश जारी किए जाएं। तत्पश्चात वे यह सुनिश्चित करें कि मजदूरों को नियत समय पर पात्रतानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, बोनस राशि का भुगतान, ओवर टाइम का भुगतान एवं कर्मचारी भविष्य निधि, राज्य बीमा का अंशदान जमा हो व ग्रेच्युटी एवं अवकाश आदि समस्त सुविधाऐं नियमानुसार प्राप्त हों।

(सचिन सिन्हा)
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, श्रम विभाग

प्रतिलिपि:-

क्रमांक सी 1183 /2023/ए-16

भोपाल, दिनांक 7/8/2023

1. श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, इंदौर की ओर सर्व संबंधितों को प्रेषित कर कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
2. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मध्यप्रदेश आंचलिक कार्यालय 59, अरेरा हिल्स भोपाल, मध्यप्रदेश की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मध्यप्रदेश, पंचदीप भवन, नंदा नगर इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. समस्त सहायक श्रम आयुक्त, श्रम अधिकारी, सहायक श्रम अधिकारी, श्रम निरीक्षक की ओर परिपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, श्रम विभाग